



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126174

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या -5360

सन् 2026

राजिक उर्फ मोहम्मद राजिक

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

:

शादाब आलम

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शादाब आलम और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव पांडे को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. यह प्रार्थना पत्र आवेदक राजिक उर्फ मोहम्मद राजिक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 21 सन् 2026 में दायर की गई है। यह प्रकरण पुलिस स्टेशन - फूलपुर, जनपद- आजमगढ़ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5), 115(2), 109, 333, 352 और 351(3) के तहत दर्ज है और इसमें उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, लोगों के दो समूहों के बीच झगड़ा हुआ था जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आईं और सब-इंस्पेक्टर कमालुद्दीन ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। यह कहा गया है कि घायलों को आई चोटें मामूली प्रकृति की हैं। आगे यह भी कहा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है कि आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। साथ ही यह भी बताया गया कि सह-अभियुक्त शहाबुद्दीन उर्फ शब्बू, सैफ उर्फ मोहम्मद सैफ कमाल और कैफ उर्फ मोहम्मद कैफ कमाल को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ से पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है और आवेदक पर लगे आरोप अन्य सह-अभियुक्तों की तुलना में बहुत कम हैं। आवेदक का एक प्रकरण में आपराधिक इतिहास है और उसे किसी अन्य प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है। इसलिए, समानता के आधार पर वर्तमान आवेदक भी अग्रिम जमानत का हकदार है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक विवेचना और विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, जांच में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध किया है।

5. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और एक अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कानून को अंतिम रूप से स्पष्ट कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम जमानत का समय हमेशा सीमित नहीं होना चाहिए। उचित प्रकरणों में, यह विचारण के पूरा होने तक जारी रह सकती है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, उस व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने जैसे गवाहों को डराने-धमकाने की संभावना, और न्याय से बचने जैसे देश छोड़कर भागना आदि की संभावना पर विचार करना चाहिए। साथ ही, यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, प्रार्थना पत्र देने वाले की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

7. अग्रिम जमानत से जुड़े कानून के स्थापित सिद्धांतों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई राय ज़ाहिर किए बिना, मेरी राय में, यह प्रकरण आवेदक को विचारण खत्म होने तक अग्रिम ज़मानत देने के लिए उपयुक्त है।

8. इसके अनुसार प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. गिरफ्तारी की स्थिति में, ऊपर बताए गए अपराध में शामिल आवेदक, **राजिक उर्फ़ मोहम्मद राजिक** को संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि के दो ज़मानतदारों के साथ एक व्यक्तिगत बंधपत्र भरने पर, विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

(1). विचारण चलने के दौरान आवेदक संबंधित विचारण न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाएगा।

(2). आवेदक जांच के दौरान जांच अधिकारी का सहयोग करेगा और जांच के सिलसिले में ज़रूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के सामने पेश होगा;

(3). आवेदकगण प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने उन तथ्यों को बताने से पीछे हट जाए।

(4). आवेदक को यह लिखित वचन देना होगा कि सबूत पेश करने के लिए तय तारीखों पर वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा और गवाह अदालत में मौजूद रहेंगे। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और आवेदक की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(5). यदि आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो संबंधित न्यायालय कानून और सर्वोच्च न्यायालय के **सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ़ दिल्ली) - 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 98** प्रकरण में दिए गए फैसले के अनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है।

(6). आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (i) प्रकरण शुरू होने, (ii) आरोप तय होने और (iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तहत बयान दर्ज होने के समय। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि इस शर्त का पालन न करना जानबूझकर किया गया है या इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को उसकी ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकता है।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संबंधित न्यायालय आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

8 जून, 2026

आदित्यजी